

प्रेषक,
राम नेवास,
विशेष सचिव,
उपरोक्त शासन।

सेवा में,
✓निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 20 दिसम्बर, 2017

विषय: शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5700/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 23 मार्च, 2017 व नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, इडा, गोरखपुर के पत्र संख्या-26/इडा/2017-2018, दिनांक 22.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपट-गोरखपुर की नगर निगम, गोरखपुर की विभिन्न मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 28 परियोजनाओं हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-712/2016/2293/69-1-16-67(मोब०-83)/2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा ₹ 0 467.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 0 233.915 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹ 0 233.915 लाख (रुपये दो करोड़ तैतीस लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उपरोक्त लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी० एस०पी०/टी०एस०पी० योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्राप्ति/मानकानुसार
१८/१८
२१/१८१२

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय लिवासियों को मिल सके।
5. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। विसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।

16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से "मुख्यमंत्री नगरीय अन्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अन्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना-35-पैंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

मवदीय

(राम नवास)
विशेष सचिव।

संख्या-148/2017/970(1)/69-1-2017 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायड़ मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-148/2017/970/69-1-2017-67(म0ब0-83)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 का
संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)


क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	वस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	गोरखपुर	न०नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 43 बनकटवा में विमला देवी के घर से ३१० अरुन के घर तक एवं मनोज के घर से रवि के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.78	2.89
2.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में गोरख के घर से हरिहर प्रसाद के घर होते हुये रासूरत के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.27	1.635
3.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में मोतीलाल के घर से अन्तलाल के घर होते हुये अशोक कुमार के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.15	2.075
4.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में नयागांव में देवेन्द्र के घर से बंधे तक एवं ओम प्रकाश के घर से के०एम० दुबे के घर तक तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.02	19.51
5.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में एल०सी० यादव के घर से को० एजूकेशनल तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.68	8.34
6.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में नयागांव में राम लखन के घर से जीवधन के घर तक तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.86	4.93
7.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में फूलचन्द के घर से वृजनाथ के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.91	11.955
8.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में बरगदवा टोला में राधेश्याम के घर से सबलू के घर और सुभाष के घर तक तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.19	4.595
9.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में दिनेश के घर से राम मनोहर के घरहोते हुये केशव चौहान के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.73	18.365
10.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में भारत चौहान के घर से राजेन्द्र के घर, होती के घर से केदार के घर होते हुये बुद्धिराम के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.42	8.71
11.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में बरगदवा में अशोक	32.52	16.26

-2/-

			के घर से अनिसुद्ध के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
12.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में राजेश के घर से विहेक, किशुन के घर होते हुये राजन के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.03	14.515
13.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में प्रभोद कुमार के घर से रमेश, हरेन्द्र, मंजू देवी के घर होते हुये राजाराम के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.56	12.78
14.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में गवरु के घर से सरजेन्ट के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.58	2.29
15.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में मैथ्यूज के घर से थामस के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.64	1.32
16.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में भेन रोड से ब्रिलोकी के घर होते हुये प्रेमचन्द, रामसूरत, फूलचन्द, बनवारी एवं बृजमान के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.02	8.01
17.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में भेन रोड से गोविन्द यात्रावह के घर से बगल तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.62	15.81
18.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में भेन रोड से सारवीन के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.11	18.555
19.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में सारवीन के घर से कुलदीप के घर होते हुये पंकज के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.70	12.35
20.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राष्ट्रीयनगर में बनारसी के घर से हेमन्त लाल के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.36	18.68
21.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में महातम के घर से वियानन्द के घर तक व गौरी शंकर के घर से विरेन्द्र के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.36	3.68
22.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में साइमन के घर से विलसन एक्का के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.05	1.525
23.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में रंजना के घर से वशिष्ठ के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.53	4.765
24.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में दुर्गा मेडिकल स्टोर से सन्दीप के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.45	4.225
25.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में समय माता मन्दिर से अमित कुमार के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.10	4.05

26.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में मनोज के घर से जिलेवा देवी के घर होते हुये कमलेश के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.18	3.59
27.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में राजेश साइमन के घर से जगदम्बा के घर होते हुये लक्षण के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.34	4.67
28.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में सोमारी देवी के घर से गिरजा देवी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.67	3.835
योग				467.83	233.915

(रुपये दो करोड़ तैतीस लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ मात्र)।


 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
 अनु सचिव।